12-10-20
3-12-20
19-1-21
15-3-21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की हुक्म की तामील में जारी हुक्म
15/3/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 64 ख0नं0 215, 324, 7 कुल तादादी 7.03 है0 रोही ढाणी मोजी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत बैंक नाम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ भूलवश दर्ज कर दिया जो लिपिकीय भूल वश राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि को बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजगढ़ के रहन रखकर ऋण प्राप्त किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र व जाँच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ़ का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रस्तुत रिकार्ड से प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि ख0नं0 215, 324, 7 कुल तादादी 7.03 है0 रोही ढाणी मोजी तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज बैंक नाम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ (चूरू) के स्थान पर शुद्ध बैंक नाम बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजगढ़ दर्ज कर दुरूस्त किया जावे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेंगे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	